

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नं: 0141-2228066, फैक्स नं: 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल: rmsc.supply2@gmail.com
Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in


क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 814 दिनांक : 8/6/2022

कार्यालय आदेश

M/s Preet Remedies Ltd. Plot No. 194/195 (3rd Floor), Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(270)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-12/2019/1027 दिनांक 18.09.2019 के तहत औषधि Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimipiride Tablets (Metformin Hydrochloride(Sustained Release) 500 mg, Glimipiride 1mg)(code no. 454) के क्रयादेश क्रमांक 3306 दिनांक 10.12.2021 के द्वारा 2774500 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 2520 दिनांक 01.11.2021 के द्वारा 4076000 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 3298 दिनांक 15.02.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से दो क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 (प्राप्ति पत्र दिनांक 30.05.2022) की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(15) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Preet Remedies Ltd. Plot No. 194/195 (3rd Floor), Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002 को औषधि Metformin Hydrochloride (Sustained Release) and Glimipiride Tablets (Metformin Hydrochloride(Sustained Release) 500 mg, Glimipiride 1mg)(code no. 454) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।


 (अनुपूर्णा जोरवाल)
 आई.ए.एस
 प्रबन्ध निदेशक



क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 8/4

दिनांक : 8/6/2022

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/पंजाब।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Preet Remedies Ltd, Plot No. 194/195 (3rd Floor), Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002 .
13. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.